# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

## पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू 30.01.2020

निगरानी संख्या 1 / 2020

1. श्रीमती शान्ति पत्नि कालू जाति कंजर निवासी कंजर कोलोनी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. जयकिशन पुत्र पाचू जाति कंजर निवासी केशव बस्ती चौथ का बरवाडा
3. गुडडू पुत्र बदामया जाति कंजर निवासी केशव बस्ती चौथ का बरवाडा
4. शम्भू पुत्र मंगल्या जाति कंजर निवासी केशव बस्ती चौथ का बरवाडा
5. विजयसिंह पुत्र गल्या जाति कंजर निवासी केशव बस्ती चौथ का बरवाडा
6. राजेश पुत्र धापूडया जाति कंजर निवासी केशव बस्ती चौथ का बरवाडा
7. राजवीर पुत्र लटूरया जाति कंजर निवासी केशव बस्ती चौथ का बरवाडा
8. अश्विनी पुत्र मुरारी जाति कंजर निवासी केशव बस्ती चौथ का बरवाडा
9. कालू पुत्र अनोख्या जाति कंजर निवासी केशव बस्ती चौथ का बरवाडा
10. चोबदार पुत्र श्रिया जाति कंजर निवासी केशव बस्ती चौथ का बरवाडा

.................निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सचिव ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
3. निशा कर्मावत पुत्री स्वर्गीय सीताराम कर्मावत जाति कंजर निवासी कंजर कोलोनी, ग्राम चौथ का बरंवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

................अप्रार्थीगण

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री बाल किशन उपाध्याय एडवोकेट
वकील अप्रार्थी श्री जे.पी.सैनी एडवाकेट

दिनांक......18/8/22......

### निर्णय

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी निगरानी गुजारान के मकानात के पास स्थित भूमि में काफी साल पुराना एक चबूतरा बना हुआ है जिस पर शीतला माता की मूर्तियां [illegible] कंजर कोलोनी के निवासीयान पूजते है। इस भूमि के सहारे पूर्व में चरपेटवा 30 फीट [illegible] का एक खाली भूखण्ड (जिसके हम सभी प्रार्थीगण मंदिर का निर्माण [illegible] की बात पर विश्वास कर इन्तजार कर रहे थे तथा जिस[illegible] आर्थिक सहयोग से पुख्ता दीवार काफी पुरानी बनायी हुई है) को बिना प्रार्थीगण [illegible] जानकारी में आये [illegible] ना हरखास आम का नोटिस जारी किये गुपचुप तरीके से गलत तथ्य के आधार पर मनम[illegible] ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या–3 को आदेश दिनांक 24.07.2019 के द्वारा पट्टा संख्या 22 दिनांक 28.08.2019 जारी किया जाकर अवैध रूप से निर्णय पारित कर पट्टा जारी किया है। यह है कि आलोच्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

भूखण्ड पावडेरा फाटक से रामबाग को जाने वाले सी0सी0 रोड के सहारे स्थित कीमती भूखण्ड
है जिस पर न तो कभी विपक्षीया निशा कर्मावत का कभी कब्जा ही रहा और ना ही उस स्थान
पर किसी प्रकांर का कोई खाम मकान कभी था फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई
सार्वजनिक नोटिस हर खास आम का जारी किये गुपचुप तरीके से विपक्षीया संख्या –3 को
पट्टा जारी कर दिया गया है। यह है कि निगरानी गुजार द्वारा पूर्व से ही इस भूमि को ग्राम
पंचायत से मंदिर निर्माण हेतु प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हुआ था जिसके बाबत ग्राम पंचायत
के तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रार्थीगण को आश्वासन भी दिया गया था कि कुछ समय बाद इस
भूमि का पटटा ग्राम पंचायत द्वारा मन्दिर हेतु जारी कर दिया जायेगा परन्तु बाद में बिना
प्रार्थीगण को सूचना दिये गुपचुप विपक्षीया के नाम पटटा जारी कर दिया गया अतः अपीलार्थी की
निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 05.08.2019 की पालना में
जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 28.08.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ
न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने
बहस तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय व सम्पूर्ण पट्टा पत्रावली में कहीं भी यह
तथ्य अंकित नहीं है कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा आलोच्य पट्टा किस खसरा नम्बर
की भूमि में जारी किया जबकि आवंटी निशा कर्मावत प्रार्थीया के पति कालू पुत्र अनोख्या कंजर
की खातेदारी की आराजी ख0नं0 1388 रकबा 0.28 है0 की भूमि को अपनी आवंटित भूमि बताकर
जबरदस्ती निर्माण पर आमादा है। इससे अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण करने पर प्रार्थी की
खातेदारी आराजी खसरा की अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को पहुंचने की संभावना है। अंत में वकील
प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से जारी पट्टा संख्या 22 जारी दिनांक 28–08–2019 को निरस्त करने
हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी वकील द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते
हुए तर्क दिया गया कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा प्रत्यर्थी नं03 (अप्रार्थी) को
नियमानुसार आबादी भूमि में पट्टा जारी करने का प्रस्ताव लिया गया तथा पट्टा जारी कर उप
पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण इजाजत दी गई।
अप्रार्थी ने ख0नं0 1388 रकबा 0.28 है0 में कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। ख0नं0 1388
रकबा 0.28 है0 से अप्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। यह है कि ख0नं0 1371/4936 रकबा 0.38
है0 गै0मु0आबादी ग्राम चौथ का बरवाडा में है जिसमें अप्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे
जारी किये गये हैं। अपनी बहस के अंत में वकील अप्रार्थी द्वारा निगरानी खारिज की जाकर
उसके पक्षकार को राहत प्रदान [illegible] निवेदन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख [illegible] पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण व
विपक्षी गणों के विद्वान अधिवक्ता [illegible] द्वारा दी [illegible] तहसीलदार चौथ का बरवाडा
से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट का [illegible] किया गया। पत्रावली में उपलब्ध
दस्तावेजात के अनुसार एवं वकील उभय पक्ष [illegible] दी गयी दलीलो से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा
हूँ कि निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध प्रार्थी को बिना सूचना
दिये प्रार्थी के काफी साल से कब्जे में चले आ रहे भूखण्ड पर विपक्षी संख्या–3 को पट्टा जारी
करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये है परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य वकील निगरानीकर्त्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। वकील निगरानीकर्ता द्वारा दिये तर्क कि "अप्रार्थी निगरानीकर्ता के ख0नं0 1388 में अवैध रूप से निर्माण करवा रहा है" के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर भी यह पाया जाता है कि पट्टाशुदा भूमि निगरानीकर्ता के ख0नं0 1388 रकबा 0.28 है0 में स्थित नहीं होकर आबादी भूमि ख0नं0 1371/4936 में स्थित है। विपक्षी संख्या 3 को जारी पटटा संख्या 22 की सीमा से लगता हुआ पश्चिम दिशा में धार्मिक स्थल (शीतला माता का चबूतरा) बना हुआ है तथा अप्रार्थीया संख्या 3 द्वारा अपने पटटे की भूमि पर निर्माण करने से प्रार्थीया शांति वगै0 के धार्मिक स्थल पर मौके की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। उक्त धार्मिक स्थल की निकासी दक्षिण दिशा में स्थित गै0मु0 रास्ता पर रहेगी। अतः उपरोक्त विवेचन के अधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 05.08.2019 के आधार पर जारी पट्टा कमांक 22 जारी दिनांक 28.08.2019 में किसी तरह की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने कारण निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/8/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:30 IST
Reason: SelfAttested